<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247485 CG-DL-E-20072023-247485

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121] No. 3121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

### आयकर

का.आ. 3254(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (34ख) के साथ पठित धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी इकाई, जो मुख्य रूप से विमान को पट्टे पर देने का व्यवसाय कर रही है (इसमें इसके बाद भुगतानकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा किसी कंपनी, जो अंतरार्ट्टीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, जो एयरक्राफ्ट को पट्टे पर देने का व्यवसाय कर रही है (इसमें इसके बाद आदाता के रूप में संदर्भित) को भुगतान किए गए लाभांश की प्रकृति की किसी आय से आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी-

# (क) आदाता-

(i) भुगतानकर्ता को प्रपत्र सं. 1 में एक विवरण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष का विवरण सह-घोषणा प्रस्तुत करे जिसमें निर्धारण दिया गया हो जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 34(ख) के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है।

4695 GI/2023 (1)

(ii) ऐसा विवरण-सह-घोषणा उस निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए प्रपत्र सं. 1 में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 34(ख) के तहत छूट के लिए पात्र लाभांश आय देय है।

# (ख) भुगतानकर्ता-

- (i) प्राप्तकर्ता से प्रपत्र सं. 1 में विवरण-सह-घोषणा की प्रति की प्राप्ति की तारीख के बाद ऐसे लाभांश के प्राप्तकर्ता को किए गए भुगतान या जमा पर कर नहीं काटा जाएगा; और
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 31क में निर्दिष्ट कर कटौती की विवरणी में इस अधिसूचना के मद्देनजर ऐसे लाभांश के प्राप्तकर्ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है।
- 2. प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति डाटा को सुरक्षित रूप से कैप्चर करने और प्रसारित करने और दस्तावेजों को अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा. अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

# स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

- (क) "एयरक्राफ्ट" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4च) के *स्पष्टीकरण* में दिया गया है;
- (ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है; और
- (ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है।
- 3. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2023 से लागू होगी।

## प्रपत्र सं. 1

# अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता) को किसी एकक को एयरक्राफ्ट (डीडक्टी/आदाता) को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए किसी एकक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

- 1. निर्धारिती का नाम:
- 2 पैन∙
- 3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाई का नाम और पता:

# विवरण-सह-घोषणा

मैं	पुत्र/पुत्री,,	की हैसियत से एतद्वारा
	करता हूं कि उपर्युक्त इकाई मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट के पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई है	
आयकर	अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (34 ख) के तहत छूट के लिए पात्र है। मैं	आगे घोषणा करता हूं कि
उपर्य <del>ुक्त</del>	इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में काम करने वाली एक इकाई बनी हुई है और	वर्ष (निर्धारण
वर्ष	के लिए प्रासंगिक) के दौरान मुख्य रूप से विमान को पट्टे पर देने के व्यवसाय	में लगी हुई है जिसमें यह
ब्यौरे-स	ह-घोषणा प्रस्तृत की जा रही है।	

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

### सत्यापन

मैं ...... की हैसियत से एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(आयकर अधिनियम की धारा 140 में दिए गए आय की रिटर्न को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हेत्)

[अधिसूचना संख्या 52/2023/फा. सं. 275/17/2023-आईटी(बी)]

श्याम शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2023

### **INCOME TAX**

**S.O.** 3254(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A read with clause (34B) of section 10 of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961) (hereinafter the Income-tax Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of income tax shall be made under section 194 of the Income-tax Act from any income in the nature of dividend paid by any unit of an International Financial Services Centre, primarily engaged in the business of leasing of an aircraft (hereinafter referred as payer) to a company, being a Unit of an International Financial Services Centre primarily engaged in the business of leasing of an aircraft (hereinafter referred as payee) subject to the following-

- (a) The payee shall, -
  - (i) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1 to the payer giving details of previous year relevant to the assessment year in which the dividend income eligible for exemption under clause (34B) of section 10 of Income-tax Act is payable.
  - (ii) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner prescribed in Form No. 1 for the previous year relevant to the assessment year in which the dividend income eligible for exemption under clause (34B) of section 10 of Income-tax Act is payable.
- (b) The payer shall, -
  - (i) not deduct tax on payment made or credited to the recipient of such dividend (payee) after the date of receipt of copy of statement-cum-declaration in Form No. 1 from payee; and
  - (ii) furnish the particulars of all the payments made to the recipient of such dividend on which tax has not been deducted in view of this Notification in the statement of deduction of tax referred to in sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act, read with the rule 31A of the Income-tax Rules, 1962.
- 2. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

**Explanation.-** For the purpose of this notification,-

(a) "aircraft" shall have the same meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (4F) of section 10 of the Income-tax Act;

- (b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and
- (c) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
- 3. This notification shall come into force from 1<sup>st</sup> September, 2023.

## Form No. 1

To be furnished by a Unit engaged in the business of leasing of aircraft (deductee/payee) located in International Financial Services Centre to a Unit of International Financial Services Centre (deductor/payer)

1.	Name of the assessee:
2.	PAN:
3.	Name and address of the unit located in International Financial Services Centre:
	Statement-cum-Declaration
abo elig abo be	son/daughterof
	Verification
	son/daughter ofin capacitydo hereby certify that all particulars furnished above are correct and complete.
	Signature of the declarant
(to Ac	be signed by a person competent to verify the return of income as provided in section 140 of the Income-tax t)
	[Notification No. 52/2023/F.No. 275/17/2023-IT(B)]
	SHYAM SHARMA, Under Secy.